

याच पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भु-राजस्व अधिनियम की धारा 136 व आरटीए  
धारा 88 बाबत दूरुस्त करने राजस्व रिकार्ड बरबिनाय साक्ष्य हर किस्म

डिक्री


दिनांक :- 02/01/2026

राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा एवं प्रतिवादी 1 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री  
जगजीत सिंह रमाण इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड

3  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा




अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये प्रेषित होने पर वाद पत्र वादी अन्य खातेदारों का रकबा दूसरे चकों में जाने एवं कब्जा काश्तकारों की भूमि काश्तकारों की आधार पर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत साबित होने से स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि



1. कलवंत सिंह - बलवंत सिंह पिसरानं हजुर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया को प.न. 16/256 (28) के किला नं. 16 ता 25 की कुल 2.5300 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. काशीराम पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति जाट साकिन सूरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 1, 2, 3/.063, 8/.063, 9, 10 की कुल 1.1380 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. दौलतराम पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति जाट साकिन सुरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 3/.190, 4, 7, 8/.190, 14 की कुल 1.1390 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रहन यथावत रहेगा।
4. श्योपतराम पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति जाट साकिन सूरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 5, 6, 15 की कुल 0.7590 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रहन यथावत रहेगा।
5. रामचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सुरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 11 ता 13, 16 ता 20, 22 ता 25 की कुल 3.0360 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. गुरदीप कौर पत्नी बलदेव सिंह मक्खन सिंह- हाकम सिंह- बलकरण सिंह- अमनप्रीत कौर - कर्मदीप कौर बलवीन्द्र कौर वीरपाल कौर पुत्र पुत्रिया बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिनान गुरुसर मोडिया को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 21 व प.न. 16/256 (28) के किला नं. 1/.051 कुल 0.3040 हैक नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा सुखदेव सिंह पुत्र गण्डा सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया के पास प. न. 16/255 (27) के किला नं. 21 व प.न. 16/256 (28) के किला नं- 1/.051 कुल 0.3040 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. नायब सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया के पास प.न. 16/256(28) के किला नं. 1/.202, 2 ता 5, 6/.026, 7/.026, 8/.026, 9/.025, 10/.025 की कुल 1.3420 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. सुखप्रीत सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया के पास 16/256 (28) के किला नं. 6/.227, 7/.227, 8/.227, 9/.228, 10/.228, 11 ता 15 की कुल 2.4020 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घरघर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा अनकमाण्ड/नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पत्राचार के प्रसूति पर बाद पत्र वादी अन्य खातेदारों का रकबा दूसरे चर्कों में जाने एवं कब्जा काश्तकारों के आधार पर अन्तर्गत धारा 138 एलआरएक्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत साबित होने से स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि



1. कलवंत सिंह - बलवंत सिंह पिरारान हजुर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया को प.न. 16/256 (28) के किला नं. 16 ता 25 की कुल 2.5300 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. काशीराम पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति जाट साकिन सूरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 1, 2, 3/.063, 8/.063, 9, 10 की कुल 1.1380 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. दौलतराम पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति जाट साकिन सूरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 3/.190, 4, 7, 8/.190, 14 की कुल 1.1390 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रहन यथावत रहेगा।

4. श्योपतराम पुत्र भादरराम उर्फ बहादरराम जाति जाट साकिन सूरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 5, 6, 15 की कुल 0.7590 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रहन यथावत रहेगा।

5. रामचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सूरवाली को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 11 ता 13, 16 ता 20, 22 ता 25 की कुल 3.0360 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


6. गुरदीप कौर पत्नी बलदेव सिंह मकखन सिंह- हाकम सिंह- बलकरण सिंह- अमनप्रीत कौर - कर्मदीप कौर बलवीन्द्र कौर वीरपाल कौर पुत्र पुत्रिया बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिनान गुरुसर मोडिया को प.न. 16/255 (27) के किला नं. 21 व प.न. 16/256 (28) के किला नं. 1/.051 कुल 0.3040 हैक नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा सुखदेव सिंह पुत्र गण्डा सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया के पास प. न. 16/255 (27) के किला नं. 21 व प.न. 16/256 (28) के किला नं- 1/.051 कुल 0.3040 हैक, नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

7. नायब सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया के पास प.न. 16/256(28) के किला नं. 1/.202, 2 ता 5, 6/.026, 7/.026, 8/.026, 9/.025, 10/.025 की कुल 1.3420 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

8. सुखप्रीत सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया के पास 16/256 (28) के किला नं. 6/.227, 7/.227, 8/.227, 9/.228, 10/.228, 11 ता 15 की कुल 2.4020 है. नहरी मय गैर.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा अनकमाण्ड/नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( 3 )  
( उमा मिश्र आर.ए.एस. )  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा